

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना./स्था./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह रावत, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानस, अजमेर का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नेगड़िया का खेड़ा जिला भीलवाड़ा किया गया था जिसके विरुद्ध श्री लक्ष्मण सिंह रावत द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 2968/2019 लक्ष्मण सिंह रावत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 2968/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.2019 द्वारा अपीलार्थी लक्ष्मण सिंह रावत को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में उसे विधि अनुसार, एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में स्वयं द्वारा विद्यालय उन्नयन हेतु किये गये कार्यों एवं अपनी पारिवारिक परिस्थितियों और व्यक्तिगत कठिनाईयों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार का आग्रह करते हुए अपना पदस्थापन अजमेर जिले में प्रधानाचार्य एवं उसके समकक्ष पद पर पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों एवं माननीय अधिकरण के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व मनन किया गया व उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त आवेदनों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने के निर्देश प्राप्त थे। अपीलार्थी के प्रकरण में ऐसा कोई भी परिस्थितिजन्य साक्ष्य परिलक्षित नहीं होता जिससे उनकी मांग पर विचार किया जा सके।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह राज्य सेवा के किस कार्मिक को कब और कहां पदस्थापित करे। उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी श्री लक्ष्मण सिंह रावत, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा


राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/लक्ष्मण/अपील/2968/2019 दिनांक 29.11.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग, अजमेर।

4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री लक्ष्मण सिंह रावत के स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने की स्थिति में उनके विरुद्ध राजस्थान असैनिक सेवाए (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के प्राथमिक जांच/विभागीय जांच अनुभाग को तीन दिवस के भीतर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, भीलवाड़ा।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. सम्बन्धित अपीलार्थी श्री लक्ष्मण सिंह रावत को आदेश की पालनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर